संख्याः 814 / V-2/2025–15487/MS/1/25/2022

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण, देहरादून।

2.उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

3.मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक,
नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आवास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 04 दिसम्बर, 2025

विषयः–भारत सरकार द्वारा प्रायोजित Ease of Doing Bussiness (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक Ease of Doing Bussiness (EoDB) के अधीन भवन मानचित्र स्वीकृति की प्रकिया में ऐसे भवन जिनमें जोखिम की सम्भावना कम है, में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित/मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 1197/V–2/127(आ0)15टी0सी0/2019, दिनांक 04.09.2019 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 04.09.2019 में निम्न तालिका के कॉलम–3 के अनुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

क्र. सं.	शासनादेश दिनांक 04.09.2019 में निहित प्रावधान	संशोधन के उपरान्त प्रावधान
1	2	3
1	सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है। जिसमें सभी प्रकार के शुल्क देय होंगे तथा 15 दिन के नोटिस के	सम्बन्धित निर्माणकर्ता द्वारा भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण के आवेदन के साथ SC-1, SC-2 Form सहित समस्त अभिलेख सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु सूचना प्रस्तुत करेगा कि भवन प्लान न्यून

	भीतर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त भवन निर्माण से सम्बन्धित निर्माण को आरम्भ करने की सूचना देगा। निर्माण को 15 दिन उपरान्त प्रारम्भ किया जा सकता है बशर्ते कि आवेदक को कोई आपत्ति सूचित न की हो।	जोखिम श्रेणी के भवन के रूप में Empanalled Architect द्वारा स्वप्रमाणित किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के शुल्क देय होंगे।
2	SC-2 Form में भवन की संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।	विलोपित किया जाता है।

2— उक्त शासनादेश संख्या 1197/V–2/127(आ0)15टी0सी0/2019, दिनांक 04.09.2019 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक—तदैव।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2—प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4—सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5—सचिव, गोपन/मंत्रिपरिषद विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6—स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7—आवास आयुक्त, उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद, देहरादून।
8—आयुक्त, गढवाल मण्डल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9—समस्त जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
10—सचिव, मसूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण।
11—कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र सिंह रावत)
अनु सचिव।